रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

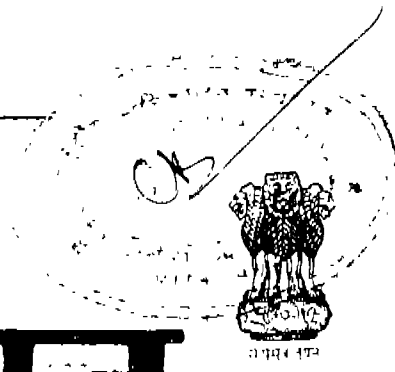

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 1991/ज्येष्ठ 15, 1913
No. 213] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 5, 1991/JYAISTHA 15, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-सूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 1991

सा. का. नि. 299 (अ):—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और उसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र जनता को उपलब्ध करा दिए जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा।

2. उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान का संपूर्ण आकार (छूट के लिए शर्तों का विहित किया जाना) नियम, 1991 है।

(2) ये इनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 93 से छूट दिए जाने के लिए शर्तें:—राज्य सरकार किसी मोटर यान या मोटर यानों के किसी वर्ग या प्रकार को, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93 के उपबंधों से, इन नियमों में विनिर्दिष्ट सभी या किसी शर्त को पूरा करने के अधीन रहते हुए, जिसे कि उक्त सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे, छूट दे सकेगी, अर्थात्:—

(1) उक्त मोटर यान या मोटर यानों का वर्ग या प्रकार:—

(क) ऐसे भार निर्बंधनों का पालन करेगा जो कि राज्य सरकार इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

(ख) ऐसे यानों को सड़क पर लाने से पहले ऐसे अधिकारी से जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगा,

(ग) यदि वे लदे हुए हों, सड़क पर ऐसे पुलों और पारगामी जलनिकास संरचनाओं जिन्हें राज्य सरकार उक्त संरचनाओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए विनिर्दिष्ट करें, के ऊपर से यात्रा नहीं करेंगे;

(घ) जहां खंड (ग) के अधीन उक्त खंड में निर्दिष्ट संरचनाओं के ऊपर से यात्रा करने का निषेध किया गया हो, स्वामी या परिवाहक अपने व्यय से राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार नदी पार करने का इंतजाम करेगा;

(ङ) ऐसे वाहनों के संचलन की अग्रिम सूचना ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को देगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

(च) आवश्यक चेतावनी संकेतों, जैसे दिन के समय लाल झंडी और रात्रि के समय लाल प्रकाश तथा परावर्तकों से सज्जित होंगे जिससे कि यान का अंतिम छोर स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जा सके ;

(छ) बिना किसी प्रतिबाधा के यातायात की सामान्य गति से गतिमान होगा;

(ज) गति सीमा 16 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां ऐसे यान के संचलन के कारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सड़क या सड़क संरचनाओं को कोई नुकसान हुआ हो, तो यान का आपरेटर या परिवाहक राज्य सरकार को उतनी रकम के संदाय का दायी होगा जितनी कि इस निमित्त प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाए।

(3) राज्य सरकार उनके अभिग्रहण से ऐसे यान या उसकी अन्तर्वस्तु को हुए किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(4) इन नियमों के अधीन किसी छूट का दिया जाना इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के सड़कों, पुलों, संरचनाओं और अन्य सड़क उपयोक्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, ऐसे यानों के संचलन का नियमन या रोकने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(5) राज्य सरकार, यान के आपरेटर या स्वामी के परामर्श से, ऐसे यानों के संचलन के लिए सड़क की उपयुक्तता, मोड़ पार करने की संभाव्यता अति विशेष रूप से निर्मित क्षेत्रों में, सड़क की चौड़ाई की पर्याप्तता, ऊर्ध्व निर्बाधन की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए मार्ग सर्वेक्षण कर सकेगी और निर्धारण में पाई गई कमियों का सुधार यान के आपरेटर या स्वामी द्वारा किया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन दी गई छूट केवल अपने-अपने राज्य विभाग के लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाली सड़कों पर ऐसे यानों को चलाने के लिए लागू होगी और यान के आपरेटर या उसके स्वामी को अन्य विभागों या स्थानीय निकाय प्राधिकारियों से उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सड़कों पर यान चलाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए स्वयं इंतजाम करना होगा।

3. शंकाओं का दूर किया जाना :—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी राज्य में इन नियमों के अधीन दी गई छूट केवल उसी राज्य में विधिमान्य होगी और यदि आपरेटर किसी अन्य राज्य में यान चलाने की प्रतिस्थापना करता है तो वह छूट दी जाने के लिए उस राज्य में पृथक से आवेदन करेगा और उस दशा में ऐसी छूट का दिया जाना ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगा जैसा कि उक्त राज्य सरकार इन नियमों के अनुसरण में अधिरोपित करना ठीक समझे।

[फा. सं. आर टी—11042/8/90-एम वी एल]

जी. के. पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1991

G.S.R. 299(E) :—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause(b) of sub-section(3) of Section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft would be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

2. Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement:-(1) These rules may be called overall Dimensions of Motor Vehicles (Prescription of conditions for Exemption) Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. Conditions for the grant of exemption from Rule 93:- The State Government may exempt any motor vehicle or any class or description of motor vehicles from the provisions of Rule 93 of the Central Motor Vehicles Rule, 1989, subject to the fulfilment of any or all of the conditions specified in these rules which that Government may deem fit to impose, namely:-

(1) such motor vehicle or class or description of motor vehicles shall:

(a) observe such load restrictions as the State Govt. may by order specify in this behalf;

(b) obtain the previous permission of such authority as may be specified by the State Govt. in this behalf before putting such vehicles on the road;

(c) not if they are loaded, travel over such bridges and cross-drainage structures on the road, which the State Government may having regard to the safety of the road structures specify;

(d) where prohibited under clause (c) to travel over the structure referred to in that clause, the owner or transporter shall at his cost make arrangements to cross the rivers in accordance with the directions given by the authority specified by the State Government in this behalf;

(e) give advance intimation to such authority or officer specified in this behalf by the State Govt. regarding the movement of such vehicles;

(f) equip with necessary warning signals such as red flags in the day time, red light and reflectors in the night time so as to indicate the extreme positions of the vehicle clearly;

(g) move without any hindrance to the normal flow of traffic;

(h) not exceed the speed limit of 16 kms. per hour.

(2) Where any damage is cause to the roads or road structures directly or indirectly due to the movement of such vehicles, the operator of the vehicle or the transporter shall be liable to pay such amount to the State Government as may be assessed by the authorities in this behalf;

(3) The State Government shall not be liable for any damage that may be caused to such vehicles or their contents through their transits;

(4) Any grant of exemption under these rules shall be without prejudice to the right of the authorities specified in this behalf by the State Government to regulate or stop the movement of such vehicles having regard to the safety of roads, bridges, structures and other road users;

(5) The State Government may, in consultation with the operator of the vehicle or the owner conduct a route survey to assess the fitness of the roads for movement of such vehicles, feasibility of negotiating the curves more particularly in built-up areas sufficiency of road width, adequacy of vertical clearance and any deficiencies identified in the assessment shall be rectified by the operators or owners of the vehicles;

(6) Exemption granted under these rules shall be applicable only for operating such vehicles on roads lying within the jurisdiction of the Public Works Department of the respective State Department and operators of the vehicles or their owners thereof shall make their own arrangements to obtain the approval of the other Departments or local body authorities for plying on the roads lying within their jurisdiction.

3. Removal of Doubts:-For removal of doubts, it is hereby declared that any exemption granted under these rules in any State shall be valid only in the State and if the operator of the vehicle propose to ply the vehicle in any other State, he shall apply separately to that State for the grant of exemption, in which case the grant of such exemption shall be subject to such condition as that State Govt. may deem fit to impose in accordance with these rules.

[F.No. RT-11042/8/90—MVL]

G.K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1991